न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 02/2024 निर्णय दिनांक 25.09.2024
जीसीएमएस ऑनलाईन नंबर 2024/116

हनुमानाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी टेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट—

उपस्थितिः—

1. **श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट**
2. **पैरोकारराज स्टेट की ओर से।**
3. **श्री बजरंग शर्मा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से अपील सादर प्रस्तुत है कि अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 258 खेत खसरा नम्बर 112 तादादी 1.5000 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 113 तादादी 0.5500 हैक्टेयर गै.मु. सड़क, खसरा नम्बर 114 तादादी 6.6300 हैक्टेयर बारानी कुल खसरा 03 कुल क्षेत्रफल 8.8800 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम टेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानरे में स्थित है, जिसमें अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा अवस्थित है। अपीलार्थी दिनांक 09.01.2024 को अपने खेत की जमाबन्दी हल्का पटवारी सुडसर से प्राप्त की तो अपीलार्थी को ज्ञात हुआ की अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में विरासतन म्युटैशन संख्या 463 दर्ज किया जाकर अज्ञात व्यक्तियों के नाम जमाबन्दी में दर्ज कर दिये गये। अपीलार्थी ने म्यूटेशन संख्या 463 के सम्बंध में हल्का पटवारी से मिला तो हल्का पटवारी ने कहा कि आपकी जमीन में विरासतन म्युटेशन दर्ज किया जा चुका है। अपीलार्थी ने जानकारी होते ही दिनांक 09.01.2024 को श्रीमान नायब तहसीलदार सुडसर को प्रार्थनापत्र दिया जिस पर माननीय नायब तहसीलदार सुडसर द्वारा दिनांक 11.01.2024 को हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई हल्का पटवारी ने श्रीमान नायब तहसीलदार सुडसर को दिनांक 02.02.2024 को अपनी रिपोर्ट दी जिसमें यह माना वादगत कृषि भूमि में अपीलान्ट के जीवित रहते गलत तरीके से म्यूटेशन संख्या 463 दर्ज की गई है तथा नायब तहसीलदार सुडसर से म्यूटेशन निरस्त करने का निवेदन किया, जिसकी पुष्टि भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा भी दिनांक 08.02.2024 को की गई। दिनांक 22.02.2024 तक म्यूटैशन संख्या 463 को निरस्त कर अपीलान्ट की जमाबन्दी पूर्ववृत बहाल नही करने पर प्रत्यर्थी संख्या 01 से दिनांक 23.02.2024 को मिला तो प्रत्यर्थी संख्या 01 ने म्यूटेशन निरस्त करने का क्षेत्राधिकार अपने पास होना नही बताया व कहा कि आप सक्षम न्यायालय में म्युटैशन के विरूद्ध अपील कर म्यूटेशन खारिज करवावे । अपीलार्थी ने म्यूटैशन की जानकारी होते ही सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र दिया तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा म्युटेशन निरस्त करने से इंकार करने से अपीलार्थी के पास अपील के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अपील श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि म्यूटेशन संख्या 463 दिनांक 23.07.2021 को निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्ट की जमाबन्दी को पूर्ववृत बहाल किये जाने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:31:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अपीलान्ट की उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये ...टिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान संख्या 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपीलान्ट ... अपील पर आपति नहीं होने का कथन किया गया है। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने ...वाब पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई है। संक्षेप में रेस्पोडेन्टान को अपील ...पीलान्ट स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की ...ाती है।

आदेश

इन्तकाल संख्या 463 दिनांक 23.07.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की ...खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 258 खेत खसरा नम्बर 112 तादादी 1.5000 हैक्टेयर ...बारानी, खसरा नम्बर 113 तादादी 0.5500 हैक्टेयर गै.मु. सड़क, खसरा नम्बर 114 तादादी ...6.6300 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम टेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानरे में स्थित है, जिसमें अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा अवस्थित है कि जमाबन्दी को पूर्ववृत बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 25.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:21:58 IST
Reason: SelfAttested